

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding inclusion of 'Kudmali' language in Eighth Schedule to the Constitution.

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कुड़मी (महतो) जाति, जिसकी भाषा कुड़माली है, उसे बोलने वाले लोगों की देश के विभिन्न राज्यों, जैसे झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में लगभग 12 करोड़ की आबादी है...(व्यवधान) झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों, जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, राँची, हजारीबाग, धनबाद, गिरीडीह, बोकारो, रामगढ़, पलामू, गोड्डा, जामताड़ा तथा पश्चिम बंगाल राज्य में पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर एवं ओडिशा राज्य के मयूरभंज, क्योँझर, सुन्दरगढ़ इत्यादि में कुड़मी (महतो) जाति के लोग रहते हैं...(व्यवधान) केवल झारखण्ड में कुड़मी (महतो) जाति की जनसंख्या लगभग 27 प्रतिशत है, जो कुड़माली भाषा ही बोलते हैं...(व्यवधान) इस जाति को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए कुड़माली भाषा को द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दी जाए...(व्यवधान)

महोदया, अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि कुड़मी (महतो) जाति की कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए उसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दिलाने की कृपा की जाए...(व्यवधान)

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।